कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला स्थापना शाखा)

आदेश

अपर मुख्य सचिव–सह–मिशन निदेशक बि0प्र0सु0 मि0सो0, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0/BRPGRA 21/2016 सो0 1278 पटना दिनांक 16.07. 2019 के द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर हुए परिवाद की सुनवाई एवं निवारण के संबंध में कंडिकावार निदेश दिया गया है, जो निम्नवत है :–

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का उद्देश्य नियत समय सीमा में परिवाद का सुनवाई कर उसका वास्तविक तौर पर निराकरण कराना है । सुनवाई के दौरान ही परिवाद का वास्तविक निवारण कराने के दृष्टिकोण से कुछ अपवादिक मामलों में नियमावली के नियम–10 के प्रावधान का उपयोग किए जाने का भी निदेश है।

2. हाल के दिनों में ऐसे कुछ दृष्टांत प्राप्त हो रहे हैं जिसमे परिवाद के निवारण के लिए नामित लोक प्राधिकारों के सुनवाई में उपस्थित नही होने अथवा परिवाद के निवारण में रूचि नहीं लेने के कारण शिकायतों का समयबद्ध निवारण नहीं हो पा रहा है और सुनवाईया को बार–बार विस्तारित करना पड़ रहा है। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की शिथिलता तथा पारित किए गए आदेशों में गुणवत्ता का अभाव पाए जाने के भी कुछ उदाहरण प्राप्त है। कतिपय मामलों में बिना किसी तर्कपूर्ण कारण के सुनवाई को अगली तिथि के लिए निर्धारित किया गया है।

3. प्राप्त परिवादों की नियत समय–सीमा में सुनवाई कर वास्तविक निवारण कराए जाने के दृष्टिगत मिशन कार्यालय द्वारा समय–समय पर कई दिशा–निर्देश जारी किए गए है। दिनांक 08.07.2019 को बिहार प्रशासनिक सुधार विभाग सोसाईटी की शासी परिषद् की बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को प्रभावकारी बनाए रखने के लिए सभी संबंधित को पुनः निदेशित करने का अनुदेश दिया है। इस दिशा में क्रियान्वयन को प्रभावकारी बनाए रखने के लिए सभी संबंधित को पुनः निदेशित करने का अनुदेश दिया है। इस दिशा में निम्नलिखित निदेश दिए गये हैं :–

1. परिवाद की प्रकृति एवं गंभीरता को ध्यान में रखकर कम से कम सुनवाईयों में इनका नियमानुसार निवारण कराया जाए। सुनवाई की तिथियों का विवेकपूर्ण निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि परिवादियों को बार–बार नहीं आना पड़े। परिवादी को शिकायत निवारण से संबंधित सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जाए।
2. सुनवाई में परिवाद का निवारण कर अथवा तात्विक/प्रगति प्रतिवेदन के साथ लोक प्राधिकार उपस्थित हो।
3. अपरिहार्य कारण से लोक प्राधिकार स्वयं उपस्थित हो पाने में असमर्थ हो तो ऐसी आकस्मिक स्थिति में वे अपने किसी अधीनस्थ पदाधिकारी जो परिवाद की विषय वस्तु से भली भांति अवगत हो, को सुनवाई में भाग लेने हेतु प्राधिकृत कर सकते है, परन्तु ऐस प्राधिकृत पत्र में उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए जिसके कारण लोक प्राधिकार स्वयं उपस्थित हो पाने मे असमर्थ है। इसे Practice नहीं बनाया जाना चाहिए।
4. लोक प्राधिकारों की सुविधा के लिए यह निदेश दिया गया है कि सुनवाई की तिथियों का निर्धारण लोक प्राधिकार/विभागवार इस प्रकार किया जाए ताकि सामान्यतः किसी लोक

प्राधिकार को सप्ताह में एक से अधिक दिन लोक शिकायत निवारण कार्यालय में नहीं जाना पड़े। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

5. लोक प्राधिकारों की उपस्थिति को साफ्टवेयर में मार्क करने की व्यवस्था से सभी भली–भांति अवगत है। पाक्षिक/मासिक बैठकों में लोक प्राधिकारों की उपस्थिति एवं उनके सहयोग की गहन समीक्षा की जाए।
6. सुनवाई के विस्तारित मामलों में लोक प्राधिकार की उपस्थिति एवं निवारण के प्रयासों को विशेष रूप से समीक्षा की जाए।
7. लोक प्राधिकारों की अनुपस्थिति एवं अरूचि के प्रतिवेदित मामलों का साक्ष्य आधारित विश्लेषण कर ऐसे लोक प्राधिकारों के विरूद्ध शीघ्र अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जाय।
8. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यो एवं उनके द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा की जाए तथा शिथिलता एवं उदासीनता परिलक्षित होने पर उनके विरूद्ध भी सेवा नियमों के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

सभी लोक प्राधिकार उक्त विभागीय निदेश की कंडिका 3 का अनुपालन शतप्रतिशत करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः विभागीय निदेश के आलोक में खगड़िया जिलान्तर्गत सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं लोक प्राधिकारों को आदेश दिया जाता है कि वर्णित संबंधित बिन्दुओं का अनुपालन/क्रियान्वयन करना सुनिश्चित किया जाय।

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक 609 /स्था0, दिनांक 20/07/19

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/अपर समाहर्ता, खगड़िया/उप विकास आयुक्त, खगड़िया/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी को सूचनार्थ एवं आवयश्क कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी को सूचनार्थ एवं अनुलपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। विभागीय पत्र संख्या–1278 दिनांक 16.07.2019 की कंडिका–3 की उप कंडिका 5,6,7,8 के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

प्रतिलिपि :– सभी कार्यालय प्रधान (लोक प्राधिकार) खगड़िया जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

765.D/anil, Ashthapna, khagaria